एस.सी.पी.

संख्या– 827 / III–2/06–76(प्रा.आ.)/05टी.सी.।

प्रेषक,

टी0के0 पन्त ,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

गुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों के रूपये 7509.24 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 6981.98 लाख (रू0 उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख अठानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन को उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.69 लाख (रू0 उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

प्रतिलिपि सत्यापित

Copy to all AEs
JE(T)
DAO/

3.4.06

15.	अल्मोड़ा में हवालबाग विकास खण्ड के अन्तर्गत खूंट काकडीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	95.20	71.20	0.01
16.	अल्मोड़ा में हवालबाग ब्लाक के अन्तर्गत खूंट काकाड़ीघाट मोटर का अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सिद्धपुर तक विस्तार	3.00	71.40	53.40	0.01
17.	अल्मोड़ा में लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम बजेठी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	7.00	156.76	124.60	0.01
18.	अल्मोड़ा में लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम दाड़िमी उड्यारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	339.36	267.00	0.01
19.	अल्मोड़ा में लमगाड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य ग्राम चौतरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	95.32	71.20	0.01
20.	नैनीताल में चोपड़ा–दुमगांव–कूल हल्का वाहन मार्ग तथा मोअर मार्ग का डामरीकरण	6.00	115.00	115.00	0.01
21.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत थल–बल्तिर मार्ग के किमी0 4 से अल्काथल–करेला मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	71.20	71.20	0.01
22.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत मुवानी–गोबराडी मोटर मार्ग के किमी0 2 से चिटगाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	93.70	93.70	0.01
23.	जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाले मार्गो के सुधार कार्य के अन्तर्गत प्रहलादपुर–हरतमोली मार्ग का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2.53	48.67	48.67	0.01
24.	जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाले मार्गो के सुधार कार्य के अन्तर्गत गोरधनपुर–रोहालकी–कर्णपुर मार्ग का सुधार	4.00	40.73	40.73	0.01
25.	जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाले मार्गो के सुधार के अन्तर्गत फतेहपुर–जुनार सम्पर्क मार्ग का सुधार	2.30	22.42	22.42	0.01
26.	जनपद हरिद्वार में इकबालपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में मार्गो के सुधार के अन्तर्गत सी.सी. मार्ग	7.60	149.68	144.35	0.01
27.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत उत्तरकाशी में थौलधार घण्डाला ब्याली मोटर मार्ग का डामरीकरण 1.500 से 6.500	5.00	53.50	53.50	0.01
28.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जखेड़ से खोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1.00	116.60	116.60	0.01

प्रतिलिपि सत्यापित

Assi... ...neer-II,
Pro... ...D's